(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1203–एक/2016 – विरूद्ध आदेश दिनांक 28–3–2016 – पारित व्दारा कलेक्टर जिला मुरैना – प्रकरण क्रमांक 52/15–16 अपील

बिजेन्द्र सिंह उर्फ दीपू पुत्र अमृतलाल किरार
बार्ड नं. 10 स्टेशन रोड, बामौर जिला मुरैना ---आवेदक

विरूद्ध

1– अध्यक्ष, नगर परिषद बामौर उप तहसील बामौर तहसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश
2– मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद बामौर तहसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से एम0पी0भटनागर अभिभाषक्)
(अनावेदकगण की ओर से बिनय कुमार मिश्रा अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक 2– \ – 2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 52/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–3–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नगर पंचायत बामौर व्दारा संकल्प कमांक 158 दिनांक 31-12-15 पारित किया गया कि बार्ड कमांक 10 स्थित सीवर टैंक, जो सार्वजनिक भूमि पर स्थित है, उस पर महावीर जैन व्दारा अतिक्रमण कर अवैध बाउन्ड्री निर्माण की है, को हटाया जाय तथा जनसुविधा के लिये सुलभ काम्पलेक्स बनाया जाय - तद्नुसार प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई एंव कार्य का एस्टीमेट एंव ड्राइंग डिजाइन उपयॅत्री से तैयार कराकर कार्यपालन यंत्री से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित की जावें। आवेदक ने नगर पंचायत बामौर व्दारा संकल्प कमांक 158 दिनांक 31-12-15 से लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई। कलेक्टर मुरैना ने पक्षकारों को श्रवण कर प्रकरण कमांक 52/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-2016 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि ग्राम जैतपुर नूरावाद की आराजी नंबर 149 भूमि भूपेन्द्र के नाम थी जो प्रोजेक्ट की भूमि है । भूपेन्द्र ने इसी भूमि में से 1200 वर्गफुट भूमि आवेदक को विक्रय की है जो आवेदक की निजी भूमि है अर्थात शासकीय भूमि नहीं है और न ही यह भूमि नगर परिषद बामौर के सीमा क्षेत्र की भूमि है इसलिीये सर्वे नंबर 149 ग्राम जैतपुर की आवेदक की निजी भूमि है जिस पर संकल्प कमांक

158 दिनांक 31-12-15 से आवेदक की भूमि न होना मानकर सुलभ काम्पलेक्स बनाने का गलत निर्णय लिया गया है जो आवेदक के हितों को प्रभावित करता है इसलिये नगर पंचायत का संकल्प क्रमांक 158 दिनांक 31-12-15 एंव कलेक्टर जिला मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 52/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-2016 दोषपूर्ण होने से निरस्त किया जावे। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये नगर पंचायत के संकल्प क्रमांक 158 दिनांक 31-12-15 को सार्वजनिक हित में होना बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि नगर पंचायत के संकल्प क्रमांक 158 में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि मौका जॉच में आवेदक ने बार्ड क्रमांक 10 में सार्वजनिक प्रयोग में आ रहे 15X80 क्षेत्रफल पर बाउन्ड्री वाल बनाकर अतिक्रमण करना पाया गया है एंव इसी अतिक्रमण की शिकायत बार्ड क्रमांक 10 के पार्षद एंव अन्य निवासीगण ने नगर परिषद में की है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि आवेदक ने बिना स्वामित्व की सार्वजनिक सीबर टेंक पर कब्जा करने के लिये एंव सीबर टेंक का रास्ता अवरूद्ध करने के लिये बीउन्ड्री बनाकर अतिक्रमण किया है जिसके कारण उसके विरूद्ध अतिक्रमण हटवाने एंव सार्वजनक हित में सुलभ काम्पलेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की द्वेषपूर्ण कार्यवाही करना नहीं पाया गया है इसके विपरीत आवेदक के .

अभिभाषक किसी दस्तावेज व्दारा अथवा अन्य प्रकार से यह यह प्रमाणित नहीं कर सके कि विचाराधीन भूमि नगर परिषद बामौर में स्थित बार्ड कमांक 10 में बने सीवर टैंक की भूमि न होकर आवेदक के निजी स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि है जिसके कारण कलेक्टर मुरैना ने आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर उसके व्दारा प्रस्तुत अपील कमांक 52/15-16 को आदेश दिनांक 28-3-2016 निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं हैं

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 52/15-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-3-2016 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर